झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–5/न0वि0/विविध/विनियम/74/2016 7776 राँची, दि0– 19/12/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–592 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–298, 300 एवं 301 में निहित प्रावधानों के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के यातायात प्रबंधन, लोक सुरक्षा, पद यात्रियों की सुविधा एवं द्रुत परिचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–

1.1 यह विनियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली, 2017' कही जायेगी।

1.2 इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

1.3 यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँः–

2.1 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011

2.2 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

2.3 'नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत उक्त स्तर के पदाधिकारी।

2.4 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार।

2.5 'विभाग' से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।

2.6 'निकाय' से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकाय।

2.7 'नगरपालिका पार्किंग' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–394 में उल्लिखित पार्किंग स्थल।

2.8 'पार्किंग स्थल' से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन सड़को पर अथवा उनके बगल/दूर में निर्धारित स्थल।

2.9 'सार्वजनिक सड़कों' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–406 में उल्लिखित सड़कें।

2.10 'वार्षिक किराया मूल्य' से अभिप्रेत है, सकल वार्षिक किराया, जिसपर किसी धृत्ति को युक्तिगत रूप से किराये पर लगाया जा सके।

2.11 'अवरोध' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–302 में उल्लिखित अवरोध।

2.12 'मार्ग उपस्कर' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–301 में उल्लिखित विषय।

2.13 'नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–405 में उल्लिखित समिति।

2.14 'निजी मोटर वाहन' से अभिप्रेत है, वैसा मोटरचालित वाहन, जो लोग अपने निजी उद्देश्यों हेतु क्रय करते हैं।

rk/Rahul Sir/adhisuchana-1

2.15 'ऑन स्ट्रीट पार्किंग' से अभिप्रेत है, सड़क पर पार्किंग हेतु चिन्हित स्थल।

2.16 'ऑफ स्ट्रीट पार्किंग' से अभिप्रेत है, वैसे पार्किंग स्थल, जो सड़क पर न होकर उसके बगल/दूर अवस्थित हो तथा निकाय द्वारा निर्धारित एवं चिन्हित हो।

2.17 'अधिभोग (Occupancy)' से अभिप्रेत है, एक निश्चित समय में पार्किंग स्लॉट का उपयोग।

2.18 'पीक पीरियड' (Peak Period) से अभिप्रेत है, वैसी समय अवधि, जिस दौरान पार्किंग अधिभोग (Occupany) अन्य अवधि की अपेक्षाकृत अधिक हो।

2.19 'प्रदूषण रहित वाहन' से अभिप्रेत है, वैसा वाहन, जिसमें अन्तर्दहन इंजन न होकर बैटरी चालित/सी0एन0जी0/सौर ऊर्जा से चालित हो।

2.20 'कंजेशन चार्ज' से अभिप्रेत है, यातायात घनत्व के क्षेत्रों में वसूल की जानेवाली अतिरिक्त राशि।

7776
19/12/17

2.21 'शास्ति' से अभिप्रेत है, पार्किंग के नियमों के उल्लंघन पर युक्ति-युक्त अधिरोपित शुल्क।

2.22 'विभेदक पार्किंग दर' से अभिप्रेत है, वैसी दर जो प्रदूषण रहित वाहनों, लोक वाहनों, छोटे वाहनों के परिचालन को बढ़ावा प्रदान करे।

2.23 'सिंगल विण्डो' से अभिप्रेत है, वैसा कार्यालय, जहाँ परिवहन विभाग, शहरी निकाय, यातायात पुलिस, निजी ठेकेदार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि, एक ही साथ अपने-अपने विभागों से संबंधित आपत्तियों का निराकरण करेंगे।

2.24 'आकस्मिक सेवा' से अभिप्रेत है, वैसी सेवा, जो दुग्ध आपूर्ति, एम्बुलेंस, बिजली आपूर्ति, होम डिलीवरी सेवा, अग्नि-शमन एवं अन्य सार्वजनिक आकस्मिक सेवा से संबद्ध हो।

2.25 'छोटे वाहन एवं बड़े वाहन' से अभिप्रेत है, मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधानित छोटे एवं बड़े वाहन।

2.26 'बस पड़ाव' से अभिप्रेत संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित ऐसे घोषित बस पड़ाव से है, जहाँ से उक्त निकाय के भीतर परिवहन कार्य में प्रयुक्त लोक वाहनों, अन्तर निकाय में प्रयुक्त लोक वाहनों तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन में प्रयुक्त लोक वाहनों का आवागमन होता हो। ऐसे बस पड़ाव की घोषणा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा विधिवत् जिला गजट के द्वारा की जाएगी ।

3. **उद्देश्य :-** राज्य शहरी पार्किंग नियमावली के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

3.1 शहरी परिवहन व्यवस्था का सुगमतापूर्वक संचालन।

3.2 शहरी अनुपयोगी भूमि का पार्किंग हेतु प्रबंधन कर शहरी निकाय को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करना।

3.3 जन-निजी भागीदारी द्वारा पूँजी निवेश को आकर्षित करना।

3.4 शहरों में ट्रैफिक कन्जेशन को कम करना अथवा शहरों को कन्जेशन मुक्त करना।

3.5 पार्किंग दरों का वैज्ञानिक रूप से (Scientifically) निर्धारण करना।

3.6 पार्किंग स्थलों के दुरूपयोग को रोकना।

3.7 पार्किंग हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना।

3.8 सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग समय–समय पर निर्गत किये गये निदेशों का पालन करना।

4. **राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति :–** पार्किंग से संबंधित अवयवों के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा ।

4.1 राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति की संरचना निम्न प्रकार से होगी :–

4.1.1 प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग– अध्यक्ष,

4.1.2 प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि– सदस्य,

7776
9/12/17

4.1.3 प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि – सदस्य,

4.1.4 नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी– सदस्य सचिव।

4.2 राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति के द्वारा निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

4.2.1 शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित पार्किंग दर की आवश्यकतानुसार समीक्षा,

4.2.2 निकाय में गठित नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति से संबंधित किसी विवाद का निपटारा,

4.2.3 शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग से संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत करना।

5. **निकाय स्तर पर पार्किंग व्यवस्था :–**

5.1 कोई सरकारी अथवा निजी वाहन का वाहन चालक संबंधित नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत पार्किंग हेतु विनिर्दिष्ट स्थान के अलावा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल अथवा खुले स्थान पर वाहन खड़ा नहीं करेगा।

5.2 अधिनियम की धारा–405 में विहित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक शहरी निकाय में 'नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति' का गठन किया जाएगा।

5.3 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति के द्वारा पैदल यात्री, सार्वजनिक सड़कों पर या सड़कों से बाहर, उपयुक्त एवं पर्याप्त पार्किंग सहित वाहनों के शीघ्र, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए और उक्त को ध्यान में रखते हुए यथाविहित कार्य किए जाऐंगे।

5.4 अधिनियम की धारा–406 में विहित प्रावधान के अनुसार स्थायी समिति नगरपालिका क्षेत्र में निम्न वर्णित श्रेणियों के आलोक में समस्त मार्गो को चिन्हित करेगी :–

(क) श्रेणी–I – मुख्य सड़क (40 फीट से अधिक),

(ख) श्रेणी–II – उप मुख्यसड़क (30 फीट से 40 फीट तक),

(ग) श्रेणी–III – सम्पर्क सड़क (20 फीट से 30 फीट तक),

(घ) श्रेणी–IV – स्थानीय सड़क (10 फीट से 20 फीट तक), और

(ङ) श्रेणी–V – पैदल यात्रियों हेतु सड़क (10 फीट तक)।

5.5 पार्किंग योजना हेतु रूपाकंण प्रक्रिया को नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा पार्किंग का मास्टर प्लान, पार्किंग कार्य योजना, डिजाईन हेतु अध्ययन करते हुए पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया जायेगा। इस क्रम में अनुभवी विशेषज्ञों यथा परामर्शियों की सेवाएँ प्राप्त की जा सकेंगी।

5.6 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा अधोसंरचना की उपलब्धता, आवश्यक, मानव संसाधन, सामान्य एवं व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता, पार्किंग माँग, इलेक्ट्रानिक डिसप्ले बोर्ड, ट्रैफिक इन्फारमेशन मैनेजमेंट तथा कंट्रोल सेन्टर, पार्किंग शुल्क अधिरोपण के संबंध में की गई अनुशंसा पर निकाय के बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5.7 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा शहरी क्षेत्र में पीक पीरियड निर्धारण, नाईट पीरियड निर्धारण, नो पार्किंग जोन, प्रतिबंधित समयावधि, आवास पार्किंग योजना, सशुल्क पार्किंग, पार्क एवं राइड योजना, मोबिलिटी मैनेजमेंट का ढांचा तैयार करना, इत्यादि कार्य किये जायेंगें।

7776
19/12/17

5.8 नगरों में पार्किंग हेतु उपयोग किये जा रहे स्थलों की स्थिति, यातायात घनत्व, उपयोग किये जा रहे स्थान तथा पार्किंग की प्रकृति के आधार पर पार्किंग स्थलों को निम्न प्रकार से विभक्त किया जायेगा तथा उससे संबंधित नगरपालिका के मानचित्र पर दर्शाया जायेगा –

5.8.1 ऑन स्ट्रीट पार्किंग,
5.8.2 ऑफ स्ट्रीट पार्किंग,

5.9 शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा राज्यस्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति एवं नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति से संबंधित सभी सूचनाएँ सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाऐंगी।

5.10 शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा वाहनों की पार्किंग के क्रम में पार्किंग शुल्क का अधिरोपण निम्न वर्णित अवयवों के आधार पर किया जायेगा :–

5.10.1 क्षेत्र के आधार पर –
(i) वाणिज्यिक
(ii) आवासीय

5.10.2 समय आधारित –
(i) नियत समय तक
(ii) समयावधि मुक्त

5.11 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के भू–उपयोग के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्धारण किया जायेगा।

5.12 ऑन स्ट्रीट पार्किंग के बजाय ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए, वैसे मार्ग जिसकी चौड़ाई 7 मी0 से कम हो, वहाँ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी।

5.13 फुटपाथ अथवा पद यात्रियों के लिए नियत कोरीडोर पर पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।

5.14 लोक परिवहन को बढ़ावा देने एवं निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से लोक परिवहन की पार्किंग फीस शून्य एवं निजी वाहनों की पार्किंग फीस अधिकतम रखी जायेगी।

5.15 मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल के आस–पास के सड़क एवं क्षेत्र को नो पार्किंग जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा तथा उक्त स्थलों पर पार्किंग करने पर वाहन चालकों के वाहन को जब्त करते हुए ऐसे वाहन मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5.16 प्रत्येक पार्किंग स्थल का 20 प्रतिशत क्षेत्र लोक परिवहन वाहनों एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा।

5.17 पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त जनसुविधा यथासंभव उपलब्ध रहेगी, यथा–पेयजल शौचालय, जनसुविधा केन्द्र, विकलांग हितैषी पार्किंग स्थल, इत्यादि।

5.18 पार्किंग शुल्क से प्राप्त होनेवाले राजस्व की 20 प्रतिशत राशि का संबंधित वार्ड में अवस्थित पार्किंग स्थलों के बेहतर प्रबंधन तथा नये पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु उपयोग किया जाएगा।

7776
19/12/17

5.19 राजकीय अतिथि, विदेशी सरकारी प्रतिनिधि, विशिष्ट संवैधानिक पदधारक प्राधिकार एवं आकस्मिक सेवाएँ, यथा–फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, सचिवालय वाहन, प्रशासन वाहन, पुलिस वाहन, आर्म्ड फोर्स, रक्षा संगठन से संबंधित वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

5.20 रात्रि में सड़कों के किनारे पार्क किये जाने वाले वाहनों से नाईट पार्किंग चार्ज की वसूली की जायेगी।

5.21 शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रबुद्ध उपस्कर (Intelligent Equipment), पार्किंग राजस्व प्रबंधन प्रणाली (Parking Revenue Management System) हेतु विहित स्थान पर अधिष्ठापित किया जाएगा, जिसमें यथा अपेक्षित जानकारी तथा पार्किंग स्थलवार यथा निर्धारित दरें सर्वर में फीड की जा सकेंगी, जिसके आधार पर आसानी से पार्किंग शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।

5.22 शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा, उक्त निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों का वर्गीकरण, नो पार्किंग जोन, ऑफ/ऑन पार्किंग जोन, नो स्टॉपेज जोन, इत्यादि का निर्धारण किया जायेगा।

5.23 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय पार्किंग स्थल एवं इससे संबंधित अन्य अवयवों, यथा– प्रतिबंधित क्षेत्र, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, ऑन स्ट्रीट पार्किंग, नो पार्किंग, नो स्टॉपेज, इत्यादि को इंगित करने हेतु 50 मीटर के अन्तराल पर प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) अधिष्ठापित करेगा।

5.24 नगरपालिका द्वारा शुल्क वसूली हेतु ऐसे स्थलों पर कर्मियों/सिटी मार्शल/सिटी पुलिस/विधिवत् चयनित संस्था की विधिवत तैनाती की जायेगी, जिन्हें इस प्रयोजन हेतु परिचय पत्र, इत्यादि देते हुए अधिकृत किया जायेगा।

5.25 पार्किंग शुल्क वसूली हेतु शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अद्यतन आई टी टूल्स का प्रयोग किया जा सकेगा।

5.26 नगरपालिका द्वारा वाहन मालिकों के आग्रह पर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग हेतु मासिक पार्किंग स्टीकर तथा वार्षिक पास निर्गत किया जायेगा। मासिक पार्किंग स्टीकर $2x$ X 30 प्रतिमाह के दर से तथा वार्षिक पास $2x$ X 30 X 10 की दर से आकलित किया जायेगा। समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इन दरों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा।

rk/Rahul Sir/adhisuchana-5

5.27 **निकाय अन्तर्गत अवस्थित बस पड़ाव की व्यवस्था :**

5.27.1 निकाय अन्तर्गत अवस्थित बस पड़ाव से आगमन करने वाले सभी लोक वाहनों से उनके पड़ाव की अवधि के आधार पर पड़ाव शुल्क की वसूली की जाएगी।

5.27.2 पड़ाव शुल्क का निर्धारण नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति के द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में उक्त पड़ाव में उपलब्ध विभिन्न यात्री सुविधाएँ, आवागमन कर रहे लोक वाहनों की संख्या, उक्त पड़ाव के संचालन प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के व्यय, इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाएगा।

5.27.3 बस पड़ाव में रात्रिकालीन पार्किंग हेतु अलग से पड़ाव शुल्क की वसूली की जाएगी, जिसका निर्धारण उपर्युक्त कंडिका 5.26.2 के अनुसार किया जाएगा।

7776
19/12/17

5.27.4 बस पड़ाव का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु अन्य लोक वाहनों, यथा– टैक्सी, ऑटो, रिक्सा, ई–रिक्सा, इत्यादि से उपर्युक्त कंडिका 5.26.2 के अनुसार निर्धारित दर पर पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी।

5.27.5 बस पड़ाव का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के द्वारा व्यवहृत निजी वाहनों से उपर्युक्त कंडिका के अनुसार निर्धारित दर पर पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी।

5.27.6 अन्तर निकाय/अन्तर्राज्यीय लोक वाहनों के द्वारा नगर निकाय क्षेत्र अन्तर्गत मात्र कर्णांकित स्थलों पर ही यात्रियों को चढ़ाया–उतारा जाएगा। इस क्रम में यह प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम यात्री यथा घोषित बस पड़ाव से ही लोक वाहनों पर चढ़ें या उतरें।

5.27.7 यदि बस पड़ाव से खुलने वाला कोई अन्तर निकाय/अन्तर्राज्यीय वाहन का संचालक/चालक विनिर्दिष्ट स्थल के अलावा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल अथवा खुले स्थान पर वाहन खड़ा करता है तो उक्त वाहन के संचालक से बस पड़ाव में पार्किंग हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की 20 गुणी राशि दण्ड के रूप में वसूल की जाएगी।

5.27.8 लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित बस पड़ाव से विभिन्न प्रकार के शुल्कों की वसूली उक्त भागीदार के साथ इस परिप्रेक्ष्य में शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा किए गए एकरारनामे के आधार पर की जाएगी।

6 **शहरी परिवहन निधि (Urban Transport Fund) –**

6.1 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में एक शहरी परिवहन निधि (Urban Transport Fund) का संधारण किया जायेगा, जिस क्रम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निकाय द्वारा एस्क्रो खाता (Escrow Account) खोला जायेगा।

6.2 शहरी परिवहन निधि में समस्त निकाय क्षेत्र से प्राप्त समस्त पार्किंग शुल्क एवं दंड शुल्क की राशि जमा की जाएगी। इस राशि का उपयोग उक्त निकाय क्षेत्र में सुचारू एवं सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था के संचालन–प्रबंधन हेतु किया जा सकेगा।

6.3 शहरी परिवहन निधि के संधारण हेतु प्रत्येक निकाय में "शहरी परिवहन निधि प्रबंधन समिति" का गठन किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

क्र0	प्राधिकार का नाम	पद
(क)	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी,	अध्यक्ष
(ख)	नगरपालिका के वरीयतम अभियंता,	सदस्य सचिव
(ग)	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के ऐसे 05 वार्ड, जहाँ से पार्किंग शुल्क के रूप में, विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई हो, के पार्षद।	सदस्य 05

rk/Rahul Sir/adhisuchana-6

6.4 शहरी स्थानीय निकाय के विभिन्न वार्डों से पार्किंग शुल्क के रूप में प्राप्त होनेवाले राजस्व की 20 प्रतिशत राशि को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा खोले गये एस्क्रो खाता (Escrow Account) में संधारित किया जाएगा तथा संबंधित वार्ड में पार्किंग स्थलों के वेहत्तर प्रबंधन तथा नये पार्किंग स्थलों के निर्माण हेतु उक्त वार्ड की संबंधित वार्ड नागरिक सुविधा उप समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर व्यय किया जाएगा।

7. **पार्किंग दर का निर्धारण –**

7.1 पार्किंग दर निर्धारण हेतु निम्नांकित मानक होंगे :–

7.1.1 पार्किंग दरों का निर्धारण शहरी स्थानीय निकाय की प्रधान मुख्य सड़कों पर अवस्थित आर0सी0सी0 आवासीय भवनों के लिए निर्धारित औसत वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

7776
19/12/17

7.1.2 ऑन स्ट्रीट पार्किंग की दरें ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की दरों से अधिक होंगी।

7.1.3 दिन के समय एवं राजपत्रित अवकाश (शनिवार एवं रविवार सहित) के दिन हेतु पार्किंग की दरें भिन्न–भिन्न होंगी।

7.1.4 पार्किंग की दरें, वाहन पार्किंग की अवधि के समानुपातिक होंगी। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दी जायेगी।

7.1.5 पार्किंग दरों का निर्धारण वाहन के आकार पर निर्भर करेगा।

7.2 उपर्युक्त कंडिका–7.1 में अंकित अवयवों के आलोक में वाहनों की पार्किंग दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाएंगी :–

क्र0	पार्किंग स्थल की अवस्थिति	ऑफस्ट्रीट (नन पीक–ऑवर अवधि/राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोडकर) (क) यह दर पहले तीन घंटों के लिए प्रभावी होगी। (ख) उसके पश्चात प्रति घंटे के लिए यह दर प्रभावी होगी।	ऑनस्ट्रीट (नन पीक–ऑवर अवधि/राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोडकर) (क) यह दर प्रति घंटे के लिए प्रभावी होगा।
		छोटे चार पहिया वाहन (Light Motor Vehicle)	छोटे चार पहिया वाहन (Light Motor Vehicle)
i	ii	iii	iv
1.	मुख्य सड़क	x	$2x$
2.	उप मुख्य सड़क	$0.75x$	$1.5x$
3.	सम्पर्क सड़क	$0.5x$	$1.00x$
4.	स्थानीय सड़क	$0.4x$	$0.8x$
5.	पैदल यात्री हेतु सड़क	$0.25x$	$0.5x$

नोटः– 1. पार्किंग शुल्क x = प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित आर0सी0सी0 भवन के लिए उक्त निकाय द्वारा विधिवत् निर्धारित प्रति वर्ग फीट औसत वार्षिक किराया मूल्य का 1/7 भाग, जो 05 रूपये के निकटतम गुणांक में होगा।

2. पीक–ऑवर एवं नन पीक–ऑवर का निर्धारण संबंधित शहरी स्थानीय निकाय की नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

3. पीक–ऑवर की दरें, नन पीक–ऑवर की दरों से दोगुनी होंगी।

4. दोपहिया (टू–व्हीलर) वाहन का पार्किंग शुल्क चौपहिया वाहन का एक चौथाई भाग होगा, जो 05 रूपये के निकटतम गुणक में होगा, परन्तु 05 रूपये से कम नहीं होगा।

5. भारी मोटरवाहन का पार्किंग शुल्क, हल्के मोटरवाहन के शुल्क का दोगुणा होगा।

6. पार्किंग हेतु 10 (दस) मिनट की अवधि प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) होगी, जिसमें पार्किंग शुल्क देय नहीं होगा।

7. राजपत्रित अवकाश (शनिवार एवं रविवार सहित) के दिनों में पार्किंग शुल्क आधा होगा।

8. **प्रक्रिया** :– शहरी स्थानीय निकायों में लोक परिवहन को बढ़ावा देने, यातायात को सुगम बनाने एवं शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायेगा :–

8.1 सर्वप्रथम स्थायी समिति द्वारा बैठक आयोजित कर शहरी क्षेत्रों में इस विनियमावली के विनियम–5.3 के आलोक में मार्गो की पहचान करते हुए चिन्हित किया जायेगा।

8.2 इस कार्य हेतु निकाय के द्वारा आवश्यकतानुसार उक्त क्षेत्र की यातायात पुलिस के संबंधित प्राधिकार से समन्वयन स्थापित किया जाएगा।

7776
19/12/17

8.3 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति के द्वारा पार्किंग स्थलों के विकास, निर्माण एवं इससे संबंधित अन्य अवयवों के निर्धारण के निमित्त नियमावली में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

9. **दण्ड एवं शास्ति** :–

9.1 निर्धारित पार्किंग स्थल से अन्यत्र नो पार्किंग जोन, नो स्टोपिंग जोन अथवा वैसे सभी क्षेत्र, जो पार्किंग हेतु चिन्हित नहीं हैं, में वाहन के पड़ाव की स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा–177 में विहित प्रावधान के तहत, प्रथम अपराध के लिए 100 रूपये तक का दण्ड लगाया जायेगा एवं द्वितीय तथा उसके बाद के अपराध के लिए 300 रूपये तक का दण्ड लगाया जायेगा।

9.2 दण्ड का अधिरोपण शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कनीय अभियन्ता स्तर से अन्यून पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

9.3 विनियमावली में निहित प्रावधानों के उल्लंधन की स्थिति में दण्ड का अधिरोपण किया जायेगा।

9.4 पार्किंग शुल्क वसूली में अनियमितता करने पर वसूली करनेवाले कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9.5 पार्किंग शुल्क एवं अन्य विहित दण्ड राशि का भुगतान नहीं करनेवाले वाहनों की शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उक्त स्थल पर क्लैंपिग या उक्त स्थल से टोइंग करते हुए यथानिर्धारित पार्किंग स्थल पर ले जाया जायेगा, जहाँ इस क्रम में हुए समस्त व्यय एवं दण्ड/शुल्क की राशि अदा करने पर ही, ऐसे वाहन को विमुक्त किया जायेगा। इस क्रम में टोइंग पर हुए व्यय एवं प्रमादी वाहन पार्किंग स्थल पर पड़ाव अवधि हेतु दण्ड शुल्क की वसूली की जायेगी, जिसकी दर नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

9.6 नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति के द्वारा, टो कर ले जानेवाले गाड़ियों को सुरक्षित रखने हेतु प्रमादी वाहन पार्किंग स्थल निर्धारित किया जाएगा।

9.7 एक माह की अवधि तक संबंधित पार्किंग शुल्क एवं अन्य दण्ड जमा नहीं करने वाले दोषी वाहन मालिकों के विरूद्ध संबंधित जिले के उपायुक्त के द्वारा उक्त जिले के लिए विधिवत् अधिसूचित किसी कार्यपालक दण्डाधिकारी को सारांश परीक्षण (Summary Trial) के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाएगा, जिनके द्वारा विधिवत सारांश परीक्षण (Summary Trial) करते हुए अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

उपर्युक्त क्रम में कार्यपालक दण्डाधिकारी के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में आदेश पारित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर की जा सकेगी।

संबंधित जिले के जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अवश्यकतानुसार पुनरीक्षण वाद की सुनवाई की जा सकेगी, जो दायर की गई अपील के क्रम में पारित आदेश के 30 दिनों के भीतर दायर किया गया हो।

9.8 उक्त अवधि तक पार्किंग शुल्क, इत्यादि अदा नहीं करने की स्थिति में प्रमादी वाहनों की नीलामी करते हुए ऐसे शुल्क, इत्यादि की वसूली की जा सकेगी तथा शेष राशि को वाहन मालिक को लौटा दिया जायेगा।

10. अपील :– इस नियमावली के अन्तर्गत दोषी ठहराये गये कर्मी, अपने बचाव हेतु राज्यस्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति के समक्ष अपील कर सकेगा।

10.1 कोई अपील तभी स्वीकार की जायेगी, जब अपीलार्थी अपने आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में अपील करेगा।

10.2 अपील पर विचारण 30 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा।

11. **निरसन एवं व्यावृत्तिः–**

11.1 इस विनियमावली के प्रभावी होने के पूर्व इससे संबंधित लिए गये निर्णय के संबंध में यह कहा जायेगा कि सभी निर्णय इस विनियमावली के अध्यधीन लिये गये हैं।

12. **शंकाओं का निराकरण –**

12.1 यदि इस विनियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले में निराकरण का अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को होगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

12.2 इस विनियमावली के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर विभाग अधिसूचना द्वारा उक्त बिन्दु को स्पष्ट कर सकेगा।

13. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–12.12.2017 के मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/न0वि0/विविध/विनियम/74/2016..7776 **राँची, दि0–**..19.12.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/न0वि0/विविध/विनियम/74/2016..7776 **राँची, दि0–**..19.12.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी निर्वाचित प्रतिनिधि (महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद), झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

rk/Rahul Sir/adhisuchana-9